31/8/2021 पत्रावली पेश हुई। वादीगण अभि. उप.। GA उपस्थित। राजकीय अभि. ने कथन किया कि प्रकरण खातेदारी की भूमि से संबंधित है जिसमें राजहित निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में जवाब की आवश्यकता नहीं है। अत: जवाब सरकार बंद किया जाता है। वादी अभि. प्रदर्शित दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए प्रकरण को निस्तारित किए जाने का निवेदन किया। वादी अभि. को सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 08/09/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

08/09/2021
आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/[illegible] से दौरे/अवकाश/[illegible] कारण पत्रावली पूर्ववत [illegible] हेतु [illegible] दिनांक 13/09/2021 [illegible]।

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

13/9/2021 पत्रावली पेश हुई वादी अभि. उप./ GA उप./ वादपत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Reader
Presented in [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 2/2019

1. बलवन्त पुत्र श्री रामदयाल चौधरी
2. रणजीत चौधरी पुत्र श्री रामदयाल चौधरी

समस्त जाति जाट, निवासी 39 राजपूत मौहल्ला ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर।

--वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र (माता) श्रीमति पानी पत्नि हीरा जाट
2. छीतर पुत्र (माता) श्रीमति पानी पत्नि हीरा जाट (मृतक) जरिये वरिसानः-
   2/1 रसाल पत्नि स्व0 छीतर
   2/2 रतन पुत्र स्व0 छीतर
   2/3 रामजीलाल पुत्र स्व0 छीतर
   2/4 बलवीर पुत्र स्व0 छीतर

समस्त जाति जाट, निवासी बागडो की ढाणी, ग्राम सराना, तहसील व जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

-- प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 एवं 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

समक्ष

श्रीमति तारामति वैष्णव (आर0ए0एस0)

उपस्थितः-

1-श्री लक्ष्मणनाथ योगी — अभिभाषक वादीगण

2-ओम प्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

निर्णय

दिनांकः- 13.09.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के द्वारा उक्त वाद प्रसतुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी/सह-काश्तकारी की आराजीयात ग्राम सराना पटवार क्षेत्र सराना भू-अभिलेख [illegible] अजमेर में अवस्थित है जिसके 1312 रकबा 1.05 हैक्टर चाही 1 जमाबन्दी सम्वत [illegible] 2075 के अनुसार रोटेशन के अनुसार है। वर्णित आराजी में [illegible] संख्या 1 लगायत 2 का 1/2-1/2 हिस्सा निहित है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 बहामी मौखिक बंटवारे अनुसार मौके पर पश्चिम दिशा में वादीगण एवं पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण आराजी के मध्य मेड उत्तर से दक्षिण डालकर अपने हिस्से अनुसार शान्ति पुर्वक काबिज काश्त [illegible] चले आ रहे हैं। उक्त आराजी का आज दिनांक बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण फसल बोने, निराई गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने के समय झगडा फसाद करते रहते हैं। अतार्थ प्रत्येक समय वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न करते रहते हैं। जिससे अब बिना विधिक बंटवारा करावाये काश्त किया जाना

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कुताई संभव नहीं रहा है। अतः भूमि की किस्म, मूल्य एवं लगान के आधार पर हुए बाहमी मौखिक बंटवारे के अनुसार रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जाना वांछित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 अपने बहामी मौखिक बंटवारे अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 का 1/2 हिस्सा निहित है, लेकिन प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि का बिना विधिक बंटवारा कराये मौखिक बंटवारे के विरूद्ध जाकर वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ठ भू–भाग (खसरा नं. 1308 किस्म रास्ते की ओर) पर कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एंव मदाखलत उत्पन्न करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने पर सख्त आमदा हैं जिसमें यदि वे सफल हो गए तो वादीगण के हिस्से की आराजी जो बाहमी मौखिक बंटवारे में आई जिस वादीगण ने खाद एवं मिट्टी डालकर उपजाऊ बनाया, से महरूम हो जायेंगे, जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को उपरोक्त वर्णित कृत्य कारित करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना वांछित है। जिस हेतु उक्त वाद वास्ते जारी फरमाने स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 पारित फरमाई जावे। प्रकरण मे कारण सर्वप्रथम दिनांक 7.12.2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 द्वारा बिना विधिक बंटवारा कराये, पक्षकारो के मध्य बहामी मौखिक बंटवारे के विरूद्ध जाकर वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ठ भू–भाग (खसरा नम्बर 1308 किस्म आम रास्ते की ओर) अतिक्रमण कर मनमर्जी से पक्की मेड़बन्दी बनाने पर आमादा हुए, जिस पर वादीगण द्वारा पक्की नयी मेडबन्दी बनाने के लिए मना किया जिस पर प्रतिवादीगण ने एकजुट होकर कहा कि उक्त आराजीयात हमारे हिस्से की आराजीयात है। इसमें यदि तुम हमारे द्वारा पक्की मेडबन्दी बनाने पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करोगे तो हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे और विवादित आराजीयात पर पेर रखने लायक नहीं रखेंगे, की धमकी देने से उत्पन्न होकर आज दिनांक लगातार जारी है। अन्त मे वादी द्वारा वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य बटवारा किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। वर्णित आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के मध्य बहामी मौखिक बंटवारे [illegible] पर पश्चिम दिशा में वादीगण एवं पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण, आराजी के मध्य उत्तर [illegible] में मध्य उत्तर से दक्षिण दिशा में मेड डालकर अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्त [illegible] हैं उसके अनुसार पृथक–पृथक खाता कायम कर वादीगण के [illegible] हिस्से की भूमि की लगान वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक से पृथक–पृथक वसूली [illegible] बंटवारें के अनुसार वादीगण के 1/2 हिस्से में आई आराजीयात पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, एवं विशिष्ठ भू–भाग (खसरा नं. 1308 किस्म आम रास्ते की ओर) जबरन अतिक्रमण कर वादीगणको बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने एवं बिना विधिक बंटवारा कराये विशिष्ट भू–भाग पर मनमर्जी से नई मेडबन्दी बनाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (प्र.) अजमेर

Scanned with CamScanner

को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे एवं इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नाटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2/1 लगायत 2/4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे है जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 25.02.2019 को अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 राजकीस अभिभाषक ने प्रकरण खातेदारी की भूमि से सम्बन्धित होने का कथन किया। जिस पर दिनांक 31.08.2021 को जवाब सरकार बन्द किया गया।

हमने वादीगण के अभिभाषक को सुना। वादी द्वारा अपनी बहस मे अपने अपने द्वरा प्रस्तुत उकत राजस्व वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए‌ए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1312 रकबा 1.05 हैक्टयर किस्म चाही–1 ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर मे अवस्थित है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी मे वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। जिस बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बटवारा नही हुआ है जिसे बाबत उक्त राजस्व वाद विधिक बटवारा किये जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात के बाबत बटवारा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

हमने वादीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 1312 रकबा 1.05हैक्टयर किस्म चाही–1 ग्राम गेगेल तहसील व जिला अजमेर मे अवस्थित है। जिस बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 1/2–1/2 हिस्सा निहित है तथा वादग्रस्त आराजियात बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य आज दिनांक तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा नही हो रहा है अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि वे पक्षकारान की उपस्थिति मे उक्त वादग्रस्त आराजियात का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो मे अंकत नियम 18 से 21 की पालना कराते हुए भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर विधिक बटवारा करते हुए तकास्मा रिपोर्ट भिन्न भिन्न रगों से दर्शित नक्शे [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमा नम्बर :–02/2019

1. बलवन्त पुत्र श्री रामदयाल चौधरी
2. रणजीत चौधरी पुत्र श्री रामदयाल चौधरी

समस्त जाति जाट, निवासी 39 राजपूत मौहल्ला ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर।

—वादीगण

बनाम

4. कालू पुत्र (माता) श्रीमति पानी पत्नि हीरा जाट
5. छीतर पुत्र (माता) श्रीमति पानी पत्नि हीरा जाट (मृतक) जरिये

वरिसान:–

2/1 रसाल पत्नि स्व0 छीतर

2/2 रतन पुत्र स्व0 छीतर

2/3 रामजीलाल पुत्र स्व0 छीतर

2/4 बलवीर पुत्र स्व0 छीतर

समस्त जाति जाट, निवासी बागडो की ढाणी, ग्राम सराना, तहसील व जिला अजमेर।

6. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

वादी अभिभाषक **श्री लक्ष्मणनाथ योगी** एंव प्रतिवादी राजकीय अभिभाषक श्री ओम प्रकाश गुर्जर असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 13·09·21..... को पीठासीन अधिकारी **श्रीमति तारामति वैष्णव आर0ए0एस0** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि:–

वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 1312 रकबा 1.05हैक्टयर किस्म बाही–1 ग्राम गेगंल तहसील व जिला अजमेर मे अवस्थित है। जिस बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 1/2–1/2 हिस्सा निहित है तथा वादग्रस्त आराजियात बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य आज दिनांक तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा नही हो रहा है अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि वे पक्षकारान की उपस्थिति मे उक्त वादग्रस्त आराजियात का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो मे अंकत नियम 18 से 21 की पालना कराते हुए भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर विधिक बटवारा करते हुए तकास्मा रिपोर्ट भिन्न भिन्न रगों से दर्शित नक्शे के साथ तीन प्रतियो मे तकास्मा रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिकी इसी कदर जारी हो।

(तारामति वैष्णव)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4–........रूपयेपरप्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

वाद के खर्चे

(तारामति वैष्णव)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner